रजिस्ट्री सं. डी एल--33001/96 REGISTERED No. DL—33001/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 15] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 13, 1996 (चैत्र 24, 1918)

No. 15] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 13, 1996 (CHAITRA 24, 1918)

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
No.
Date

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिजर्व बैंक
केन्द्रीय कार्यालय

बम्बई-400005, दिनांक 29 फरवरी 1996

सं. 438/08 21.002/96—भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा 41 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा केन्द्रीय सरकार के परामर्श से भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक के लेखा परीक्षकों के रूप में निम्नलिखित को उक्त बैंक की अगली वार्षिक सामान्य बैठक तक के लिए नियुक्त किया है

(1) मैसर्स के एन गटगटिया एण्ड कं., कलकत्ता
(2) मैसर्स बाटलीबाय एण्ड पुरोहित, मुंबई
(3) मैसर्स फारुकी एण्ड कं., नयी दिल्ली
(4) मैसर्स जगन्नाथन एण्ड सर्वेश्वरन, मद्रास
(5) मैसर्स सोराब एस. इंजीनियर एण्ड कं., मुंबई
(6) मैसर्स लूनकर एण्ड कं., जोधपुर
(7) मैसर्स के. के. सोनी एण्ड कं., नयी दिल्ली
(8) मैसर्स आर सिधी एण्ड कं., कलकत्ता
(9) मैसर्स उमामहेश्वर राव एण्ड कं., हैदराबाद
(10) मैसर्स कमल सिन्हा एण्ड कं. नयी दिल्ली
(11) मैसर्स जैन धोपड़ा एण्ड कं., नयी दिल्ली
(12) मैसर्स पी बी विजयराघवन एण्ड कं., मद्रास
(13) मैसर्स मलारपरिया जालोडिया एण्ड कं., पटना

श्री एस रामचंद्र राव
कार्यपालक निदेशक

अध्यक्ष

विनियम 10-क (1) (क) के अंतर्गत

सहायक श्रम आयुक्त, धुबरी, डाकघर-धुबरी, जिला-धुबरी ।

सदस्य

विनियम 10-क (1) (ख) के अन्तर्गत

मुख्य चिकित्सा तथा स्वास्थ्य अधिकारी जिला-धुबरी, डाकघर-धुबरी ।

विनियम 10-क (1) (ग) के अन्तर्गत

प्रशासनिक चिकित्सा अधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, गुवाहटी या उसके द्वारा नामित कोई अन्य-चिकित्सा अधिकारी

विनियम 10-क (1) (घ) के अन्तर्गत

1. श्री पी. पी. भराली, वैयक्तिक प्रबन्धक, मैसर्ज उमको लि. धुबरी
2. श्री भास्कर चेतजी, निदेशक मैसर्ज धुबरी प्लाइउड फैक्टरी, धुबरी ।
3. श्री के. हरलालका, प्रोप्राइटर हरलालका मैनिफेकस-रिंग उद्यम, एमको रोड, धुबरी

विनियम 10-क (1) (ङ) के अंतर्गत

1. प्रोफेसर पी. चन्द, अध्यक्ष गोवालपारा जिला विधि मजदूर संघ, धुबरी
2. म. नासिरूद्दिन, साधारण सचिव, एमको श्रमिक संघ धुबरी
3. श्री बी. पी. दत्ता, अध्यक्ष उमको मजदूर संघ, धुबरी

विनियम 10-क (1) (च) के अन्तर्गत

प्रबंधक, स्थानीय कार्यालय, क. रा. बी. निगम धुबरी ।

आदेशानुसार

यू. सी. डोले

क्षेत्रीय निदेशक

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद

नई दिल्ली-110002, दिनांक 22 जनवरी 1996

सं. एफ-28-14/95-एन.सी.टी.ई.—राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम के खण्ड 32 के उप-खण्ड (1) एवं उप-खण्ड (2) की धारा (श) तथा (द) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिन्हें राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 (1993 की संख्या 73) के खण्ड 20 के उप-खण्ड (3) की धारा (ग) एवं उप-खण्ड 5 के साथ पढ़ा जाय, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाये गये हैं, यथा :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

इन विनियमों का नाम "राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (क्षेत्रीय समिति में नामजद व्यक्तियों की संख्या, उनका कार्यकाल तथा उन्हें देय भत्ता), विनियम, 1955" है । ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू माने जाएंगे ।

2. परिभाषाएं

संदर्भ के अनुसार तब तक कोई अर्थ न हो इन विनियमों में

(1) "अधिनियम" का अर्थ है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 (1993 की संख्या 73)

(2) अन्य सभी शब्दों के वही अर्थ होंगे जो इस अधिनियम के खण्ड 2 में निहित हैं ।

3. व्यक्तियों की संख्या

परिषद के अध्यक्ष द्वारा ऐसे छ: व्यक्तियों को जिन्हें अध्यापक शिक्षा से संबंधित मामलों में विशेष ज्ञान और अनुभव हो, प्रत्येक क्षेत्रीय समिति में नामजद किया जाएगा ।

4. कार्यकाल

उपर्युक्त विनियम 3 के अंतर्गत क्षेत्रीय समिति में नामजद व्यक्तियों का कार्यकाल, नामजदगी की तारीख से अथवा नई नियुक्तियां होने तक, जो भी बाद में हो, दो वर्ष का रहेगा ।

5. देय भत्ता

(1) उस व्यक्ति को, जिसे क्षेत्रीय समिति में नामजद किया गया है, क्षेत्रीय समिति की बैठक में उपस्थित रहने के लिये परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित दर से यात्रा तथा दैनिक भत्ता अदा किया जाएगा ।

(2) उपर्युक्त उप-खण्ड के अंतर्गत देय यात्रा तथा दैनिक भत्ते के अतिरिक्त नामजद सदस्यों को, उतने दिनों के लिये जितने दिन सदस्य बैठक में वास्तव में उपस्थित रहते हैं, परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित दर से मानदेय भी दिया जायेगा ।

सुरेन्द्र सिंह

सदस्य सचिव

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद

IndiaCode

नई दिल्ली-110002, दिनांक 29 फरवरी 1996

सं. एफ-28-7/95-एन.सी.टी.ई.—खण्ड 32 की उप खण्ड (1) एवं उप खण्ड 2 की धारा (अ) तथा (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिन्हें राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 (1993 की संख्या 73) के साथ पढ़ा जाए, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् ने निम्नलिखित विनियम बनाए हैं, यथा :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(1) इन विनियमों का नाम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा (कोरम, सहयोजन तथा बैठकों से सम्बन्धित विषय) विनियम, 1995 है ।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू माने जाएंगे ।

2. परिभाषाएं

संदर्भ के अनुसार जब तक कोई अन्यथा अर्थ न हो, इन विनियमों में :—

(क) "अधिनियम" का अर्थ है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 (1993 का 73) ।

(ख) "परिषद्" का अर्थ है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् ।

(ग) "कार्यकारिणी समिति" का अर्थ है, अधिनियम के खण्ड 19 के उप खण्ड (1) के अधीन गठित परिषद् की कार्यकारिणी समिति ।

3. कार्यकारिणी समिति की बैठकें

(1) अपने कार्य के निष्पादन के लिये कार्यकारिणी समिति की बैठकें अक्सर जब भी आवश्यक होगा, आयोजित होती रहेंगी, किन्तु ये बैठकें एक कैलेण्डर वर्ष में कम से कम दो बार अवश्य होंगी ।

(2) कार्यकारिणी समिति की बैठकों की तारीख, समय एवं स्थान अध्यक्ष द्वारा निश्चित किए जाएंगे और बैठकों की कार्यसूची की मदों का अनुमोदन भी वहीं करेंगे ।

(3) अध्यक्ष द्वारा लिखित में बैठक में अनुपस्थित रहने का अवकाश मंजूर कर लिये जाने के अतिरिक्त सदस्य को कार्यकारिणी समिति की बैठकों में उपस्थित रहना होगा और उन्हें बैठक में रखे गए उपस्थिति रजिस्टर में हस्ताक्षर भी करने होंगे ।

4. बैठक की सूचना और कार्यसूची

(1) कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्यों को बैठक की निर्धारित तारीख से कम से कम दस दिन पहले कार्यकारिणी समिति की प्रत्येक बैठक की लिखित सूचना दी जाएगी ।

(2) सूचना में बैठक के स्थान, तारीख और समय का उल्लेख रहेगा, साथ ही बैठक में निष्पादित होने वाले प्रस्तावित कार्य का उल्लेख भी रहेगा ।

(3) बैठक की सूचना के साथ या उसके तुरन्त बाद अलग से बैठक की कार्यसूची से सम्बन्धित सामग्री भेजी जाएगी ।

(4) अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अथवा अध्यक्षता करने वाले किसी अन्य सदस्य की अनुमति के बिना, जैसी भी आवश्यकता हो, ऐसी किसी मद या कार्य पर, जो कार्यसूची में सम्मिलित न हो, विचार नहीं किया जायेगा ।

5. कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत सभी प्रश्नों पर बैठक में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों द्वारा बहुमत से ही निर्णय लिया जायेगा । किसी प्रश्न के पक्ष या विपक्ष में बराबर मत होने पर अध्यक्ष को अथवा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति को दूसरा या निर्णायक मत देने का अधिकार होगा ।

6. कोरम

(1) कार्यकारिणी समिति की प्रत्येक बैठक में, रिक्त स्थानों को छोड़कर, कम से कम एक तिहाई सदस्यों के उपस्थित रहने पर कोरम पूरा माना जायेगा ।

(2) यदि किसी बैठक में कोरम पूरा न हो, अध्यक्षता करने वाला सदस्य 30 मिनट तक प्रतीक्षा करने के बाद, उसी दिन उतने घंटे के लिये, या अगले दिन के लिये या किसी अन्य दिन के लिये, जैसा भी वह उचित समझे बैठक स्थगित रखेगा तथा इस तरह बैठक स्थगित रखने की सूचना उपस्थित सदस्यों को दी जाएगी साथ ही सूचना परिषद् के नोटिस बोर्ड पर भी लगाई जायेगी, और कोरम के पूरा हो जाने की स्थिति में, मूल बैठक के सामने जो भी कार्य निष्पादित होना सुनिश्चित था, स्थगन के बाद आयोजित बैठक के सामने वही कार्य प्रस्तुत किया जाएगा और कोरम पूरा न होने के बावजूद उसका निपटान कर दिया जायेगा ।

7. आपात बैठकें

(क) अध्यक्ष अपने विवेक पर बैठक की सूचना देने की अवधि घटाकर किसी भी समय, किसी आपात मामले के निपटान के लिये, जिस पर कार्यकारिणी द्वारा तत्काल ध्यान दिया जाना आवश्यक हो, कार्यकारिणी समिति की आपात बैठक बुला सकेंगे ।

(ख) यदि अध्यक्ष को, अध्यक्ष के नाम लिखित रूप में आपात बैठक के लिये निवेदन प्राप्त हो, जिस पर पांच से कम सदस्यों ने हस्ताक्षर न किए हों और उस प्रयोजन का उल्लेख भी किया गया हो जिसके निमित्त वे बैठक बुलाना चाहते हैं तो अध्यक्ष अपने विवेक से तत्काल बैठक की आवश्यकता को समझ कर, आपात बैठक बुला सकेंगे ।

8. बैठकों के कार्यवृत्त

(1) कार्यकारिणी समिति की प्रत्येक बैठक के तुरन्त बाद सदस्य-सचिव द्वारा बैठक का कार्यवृत्त तैयार किया जायेगा तथा आगे आवश्यक कार्यवाही करने के लिये

IndiaCode

उसके द्वारा उसे आवश्यकतानुसार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या बैठक की अध्यक्षता करने वाले अन्य सदस्य को उसमें अनुमोदन कराने के लिए प्रस्तुत किया जाएगा । अनुमोदित कार्यवृत्त को कार्यकारिणी समिति के सदस्यों के बीच परिचालित कर दिया जायेगा ।

(2) उपर्युक्त उप-विनियम 8(1) के अंतर्गत परिचालित कार्यवृत्त को उनकी पुष्टि के लिये कार्यकारिणी समिति के समक्ष रखा जायेगा और उनमें वे संशोधन, यदि कोई हैं, किये जाएंगे, जिन्हें कार्यकारिणी समिति उनमें करना उचित समझती हो और तदनुसार अनुमोदित कार्यवृत्त पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या बैठक की अध्यक्षता करने वाले अन्य सदस्य द्वारा, जैसा भी आवश्यक हो, हस्ताक्षर किये जाएंगे तथा उन्हें संदर्भ और रिकार्ड के रूप में रखे जाने वाली कम्प्यूटर फाइलों और रजिस्टर का भाग बना दिया जायेगा ।

9. व्यक्तियों का सहयोजन

कार्यकारिणी समिति द्वारा उन व्यक्तियों की, कार्यकारिणी समिति को सौंपे गये कार्यों के निष्पादन के लिये जिनसे वह सहायता एवं सलाह लेना चाहे, परिषद् के कार्यों से सम्बन्धित विभिन्न क्षेत्रों में उन्हें सहयोजित करने की दृष्टि से एक सूची तैयार की जायेगी । कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमोदित सूची में से अध्यक्ष द्वारा किसी विशेष बैठक के लिये, जो उस विशेष बैठक की कार्यसूची में सम्मिलित मदों पर निर्भर करेगा, दो व्यक्तियों को सहयोजित करने की दृष्टि से उस बैठक में उपस्थित रहने के लिये आमंत्रित किया जायेगा ।

किन्तु, शर्त यह है कि परिषद् के हित को ध्यान में रखते हुए कार्यकारिणी समिति द्वारा, जब भी कभी आवश्यकता होगी उस सूची पर पुनर्विचार किया जा सकेगा ।

सुरेन्द्र सिंह
सदस्य-सचिव
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्

RESERVE BANK OF INDIA

CENTRAL OFFICE

(DEPARTMENT OF SUPERVISION)

Bombay-400 005, the 29th February 1996

No. 438/08-21-002/96.—In exercise of the powers under sub-section(1) of Section 41 of the State Bank of India Act, 1955 and in consultation with the Central Government the Reserve Bank of India has appointed :

1. M/s K. N. Gutgutia & Co., Calcutta
2. M/s Batliboi & Purohit, Bombay
3. M/s Faruqui & Co., New Delhi
4. M/s Jagannathan & Sarbeswaran, Madras
5. M/s. Sorab S. Engineer & Co., Bombay
6. M/s. Loonker & Co., Jodhpur
7. M/s. K. K. Soni & Co., New Delhi
8. M/s. R. Singhi & Co., Calcutta
9. M/s. Umamaheswara Rao & Co., Hyderabad
10. M/s. Bansal Sinha & Co., New Delhi
11. M/s. Jain Chopra & Co., New Delhi
12. M/s. P. B. Vijayraghvan & Co., Madras
13. M/s. Salarpuria Jajodia & Co., Patna

as auditor of the State Bank of India until the next Annual General Meeting of the said Bank.

D S. RAMACHANDRA RAJU,
Executive Director

STATE BANK OF TRAVANCORE

(Associate of the State Bank of India)

HEAD OFFICE

Thiruvananthapuram, the 25th March 1996

NOTICE is hereby given, that the Register of Shareholders of State Bank of Travancore will remain closed for transfer of shares from Tuesday the 4th June 1996 to Tuesday the 18th June 1966 (both days inclusive).

V. SRINIVASAN,
Managing Director

STATE BANK OF INDORE

HEAD OFFICE

Indore, the 22nd March 1996

NOTICE is hereby given that he Register of Shareholders of the State Bank of Indore will remain closed for transfer of shares from 20-5-96 to 15-6-96 (both days inclusive).

By Order of the Board of Directors
Sd/- ILLEGIBLE
Managing Dicetor

UNITED BANK OF INDIA

Personnel (Admn. office Employees') Division

HEAD OFFICE

Calcutta-700001, the 28th March 1996

CORRIGENDA

The following are the corrections in our Notification No 1/95 dated 25 May 1995 on Page 1198 in the Gazette of India (Part-III-Section-4) dated 22nd July, 1995 :

S. No.	Page No.	Para	Line	Correction
1	2	3	4	5
1	1198	1	3	The figures '/ 1980' and '/40 of' in bracket are to be deleted.
2	1198	1	4	The figure '1980' in bracket is to be deleted.

ABHIJIT RAY
General Manager
(Personnel)

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

Madras-600034, the 27th February 1996

(Chartered Accountants)

No. 3 SCA (4)/2/95-96- In pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by Clause

Council from time to time for the number of days the member actually attends the meeting

SURENDRA SINGH
National Council for Teacher Education
Member Secretary

The 29th February 1996

No. F 28-7/95-NCTE.—In exercise of the powers conferred by sub-Section (1) and clauses (j) and (k) of sub-Section 2 of Section 32 read with sub-Section (1), (5) and (6) of Section 19 of the National Council for Teacher Education Act, 1993 (No. 73 of 1993), the National Council for Teacher Education hereby makes the following regulations, namely :

1. *Short title and commencement*

(1) These Regulations may be called the National Council for Teacher Education (matters relating to quorum, co-option and meetings of the executive Committee) Regulations, 1995.

(2) These Regulations shall come into force from the date of their publication in Official Gazette.

2. *Definitions*

In these regulations, unless the context otherwise requires :—

(a) "Act" means the National Council for Teacher Education Act, 1993 (73 of 1993).

(b) "Council" means the National Council for Teacher Education.

(c) "Executive Committee" means the Executive Committee of the Council constituted under sub-Section (1) of Section 19 of the Act

3. *Meetings of the Executive Committee*

(1) The Executive Committee shall meet as often as may be necessary to transact its business but shall meet atleast twice in a calendar year.

(2) The Chairperson shall fix the date, time and place of the meetings of the Executive Committee and approve the items of the Agenda for the meetings.

(3) A member shall attend all the meetings of the Executive Committee save where leave of absence has been granted by the Chairperson in writing, and sign the attendance register kept in the meeting.

4. *Notice of meetings and list of business*

(1) A written notice of every meeting of the Executive Committee shall be given to all the members of the Executive Committee atleast ten days before the date fixed for the meeting.

(2) The notice shall state the place, date and time of the meeting and shall speecify the business proposed to be transacted thereat.

(3 A separate agenda material for the meeting shall be despatched alongwith the notice or immediately thereafter.

(4) No business which is not on the agenda shal be considered at the meeting without the permission of the Chairperson or in his absence the Vice Chairperson or the other presiding member, as the case may be.

5. All questions coming up before any meeting of the Executive Committee shall be decided by a majority of the votes of the members present and voting. In the event of equal votes for or against a question, the Chairperson or, in the absence of Chairperson, the person presiding over the meetings shall have the power to exercise a second or casting vote.

6. *Quorum*

(1) At every meeting of the Executive Committee atleast one-third of the Members excluding the number of vacancies shall form the quorum.

(2) If at any meeting, quorum is not complete, the presiding member shall, after waiting for 30 minutes ,adjourn the meeting for such hour on the same day or following day or some other day as he may think fit and a notice of such adjournment shall be given to the members present as well affixed on the Notice Board of the Council and the business which was to have been brought before the original meeting, had there been a quorum shall be brought before the adojurned meeting and may be disposed off irrespective of the quorum.

7. *Emergent meetings*

(a) The Chairperson may call an Emergent meeting of the Executive Committee at any time reducing the period of notice at his discretion to deal with any urgent matter requiring its attention.

(b) The Chairperson shall call an Emergent meeting at his discretion on the merits of urgency if he receives a requisition in writing signed by not fewer than five members and stating the purpose for which they desire the meeting to be called is made to the Chairperson.

8. *Minutes of the Meetings*

(1) Immediately after each meeting of the Executive Committee, the Member Secretary shall draw up the minutes of the meeting and submit the same to the Chairperson, Vice Chairperson or the other presiding member as the case may be, for his approval for taking further necessary action. The minutes so approved, shal ble circulated to the members of Executive Committee.

(2) The minutes circulated under sub-regulation 8(1) above, shall be placed before the Executive Committee for confirmation and be subject to such modifications, if any, as the Executive Committee may deem fit to make therein, and the minutes so approved, shall be signed by the Chairperson, Vice Chairperson or the other presiding member, as the case may be, and may form a part of the computer files and the register to be maintained for reference and record.

9. *Co-option of persons*

The Executive Committee may draw a panel of persons for co-options in the various fields pertaining to the functions o fthe Council whose assistance and advice it may desire in carrying out the functions assigned to the Executive Committee. The Chairperson shall co-opt two persons from the panel approved by the Executive Committee to the particular meeting depending upon the items included in the agenda for the particular meeting.

Provided, however, that the Executive Committee shall revlew the panel as and when such contingency arises, in the interest of the Council .

SURENDRA SINGH
Member Secretary
National Council for Teacher Education

मुद्रक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
तथा प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1996
Printed by the Manager, Govt. of India Press, Faridabad and
Published by the Controller of Publications, Delhi, 1996